

# मेडिकल एजेंसी में छापामारी कर जब्त की 8430 प्रतिबंधित दवाएं

Publish Date: Thu, 27 Jan 2022 10:20 PM (IST) Author: Jagran



नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा एक मेडिकल एजेंसी पर छापामारी कर बिना कोई ब्योरा रखे बेची जा रही 8430 प्रतिबंधित टैबलेट बरामद की गईं

जागरण संवाददाता, पठानकोट

वीरवार को डिप्टी कमिश्नर संयम अग्रवाल के निर्देश पर ड्रग कंट्रोलर अफसर एंटी नारकोटिक सेल पठानकोट और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा एक मेडिकल एजेंसी पर छापामारी कर बिना कोई ब्योरा रखे बेची जा रही 8430 प्रतिबंधित टैबलेट बरामद की गईं। डा. बबलीन कौर ने बताया कि जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि शाहपुर चौक स्थित सत्यवति मेडिकल एजेंसी में कुछ प्रतिबंधित दवाइयां बेचे जाने की सूचना मिली थी। इस पर जिला उपायुक्त के निर्देश पर मेडिकल एजेंसी में छापामारी की गई थी। वहां से बरामद टैबलेट का एजेंसी के संचालकों के पास कोई खरीद फरोख्त का ब्योरा ही नहीं थी। इसके चलते टैबलेट जब्त कर ली गई हैं। मामले में नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि इन टैबलेट को बेचना प्रतिबंधित है।

सेना में भर्ती करवाने के नाम पर ठगी, तीन पर केस

थाना डिवीजन नंबर दो की पुलिस ने वीरवार को सेना के सप्लाय डिपो में भर्ती करवाने के नाम पर ठगी के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पुलिस को दर्ज करवाए बयान में शिकायतकर्ता बलजिंदर सिंह निवासी गुन्नू पुर जिला गुरदासपुर ने बताया कि उसने चार अन्य साथियों सहित आर्मी सप्लाय डिपो में भर्ती होने के लिए अलग-अलग तारीख पर 13 लाख 25 हजार नकद और 9,45,000 रुपये अलग-अलग बैंक खातों से जसवंत सिंह निवासी सलाहपुर, गुरदासपुर, निमाजुद्दीन ए शेख, संजय सावंत को दिए थे। परंतु इन लोगों ने ना तो उन्हें भर्ती करवाया और न ही उनके पैसे लौटाए। तीनों आरोपितों ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। एसआई रमेश कुमार ने बलजिंदर सिंह के बयानों पर जसवंत सिंह और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

Source: <https://www.jagran.com/punjab/pathankot-8430-banned-tablets-seized-after-raiding-the-medical-agency-22417322.html>